(87)

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर जिला मेरठ।

वाद संख्या /T उप जिलाधिकारी

पुनरीक्षण [illegible] बनाम [illegible]

[illegible] अधिनियम 1894 के अन्तर्गत सदर उपजिलाधिकारी जिला मेरठ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

न्यायालय उपजिलाधिकारी, बागपत जिला मेरठ

वाद संख्या [illegible] अधिनियम

उत्तरदाता — बनाम — प्रार्थनापत्र

[illegible] उपजिलाधिकारी बागपत व उपजिलाधिकारी बागपत जिला मेरठ

-:निर्णय:- [illegible]

[illegible] की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 145 [illegible] अधिनियम [illegible] के अन्तर्गत [illegible] व उपजिलाधिकारी बागपत जिला मेरठ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर आरम्भ हुई है। पक्षों ने अपने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि ग्राम [illegible] के गाटा संख्या [illegible] रकबा [illegible] [illegible] 0.2150 हेक्टेयर 4.00 बीघा पैमाइश का वह [illegible] भूमि [illegible] है। उक्त भाग [illegible] है तथा मौके पर [illegible] की हुई है। उक्त भाग [illegible] की [illegible] है प्रार्थना [illegible] के अन्तर [illegible] पक्षों के [illegible] के [illegible] के [illegible] के [illegible] के [illegible]

उपजिलाधिकारी बागपत ने अपनी आज्ञा दिनांक [illegible] में अंकित किया है कि [illegible] संख्या [illegible] रकबा [illegible] 0.2150 हेक्टेयर 4.00 बीघा [illegible] जिला मेरठ ग्राम [illegible] का कब्जा [illegible] भूमि [illegible] है। [illegible] भूमि का [illegible] आवेदक [illegible] से [illegible] है। भूमि का [illegible] [illegible] [illegible]

(89)

न्यायालय अतिरिक्त जिलाधिकारी, बागपत जिला बागपत

वाद संख्या 57 धारा 144, 145 दं०प्र०सं०

राज्य बनाम बनाम

1. [illegible] 2. [illegible]

प्रति [illegible] व [illegible] जिला बागपत

निर्णय दिनांक 25-8-22

प्रस्तुत वाद श्री कार्यवाही अन्तर्गत धारा 145 दं०प्र०सं० राजाराम, पुत्र [illegible], निवासी [illegible] तहसील बागपत जिला बागपत द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर आरम्भ हुई है। वादी ने अपने आवेदन पत्र में कथन किया है कि ग्राम [illegible] के खाता संख्या 00635 के खसरा नम्बर 1137 रकबा 0.1560 हे० व खसरा नम्बर 1144क रकबा 0.0390 हे० तथा 4.00 का वाद संबंधित भूमि [illegible] व [illegible] है। उक्त भूमि आबादी के लिए दुकान है तथा सीमे पर आबादी बनी हुई है। उक्त वाद भूमि को आबादी में प्रवेश होने के कारण आबादी घोषित की जाये। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से आख्या मंगायी गयी।

तहसीलदार बागपत ने अपनी आख्या दिनांक 21-6-22 में उल्लेख किया है कि खाता संख्या 00635 के खसरा नम्बर 1137 रकबा 0.1560 हे० व खसरा नम्बर 1144क रकबा 0.0390 हे० तथा 4.00 मिसल ग्राम [illegible] की वादी संबंधित भूमि [illegible] है। ग्राम पंचायत भूमि का आवेदन आबादी में हो रहा है। भूमि का आवेदन [illegible], दुकानदार, [illegible] तथा [illegible] आबादी में भी हो रहा है। [illegible] के अनुसार आवेदक भूमि [illegible] व धारा 133 की नहीं है। सीमे पर दीवार बनी है। [illegible] भूमि [illegible] पट्टे की नहीं है अतः अतिरिक्त की धारा 145 के स्थान 135 के अन्तर्गत आबादी घोषित करने हेतु आख्या प्रस्तुति सहित प्रेषित है।

न्यायालय ने उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं अवगाहन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा आपनी आख्या में उक्त भूमि का आवेदन आबादी में होना बताया गया है तथा तहसीलदार द्वारा अपनी स्वयं संतुष्टि आबादी घोषित करने के लिये की गयी है। अतः तहसीलदार की आख्या अवलम्बित किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक विपक्षीगण अनुसार तहसीलदार की आख्या स्वीकार की जाती है तथा ग्राम [illegible] की खाता संख्या 00635 के खसरा नम्बर 1137 रकबा 0.1560 हे० व खसरा नम्बर 1144क रकबा 0.0390 हे० तथा 4.00 की भूमि आवेदन हेतु घोषित किया जाता है। अन्य कार्यवाही पत्रावली घोषित समाप्त करें।

दिनांक -

अतिरिक्त जिलाधिकारी
बागपत।

उक्त का निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

अतिरिक्त जिलाधिकारी
बागपत।

अतिरिक्त जिलाधिकारी
बागपत
प्रतिलिपि प्रेषित
पत्रावली सं० 57
पत्रावली का प्रकार
29 AUG 2022

आदेश हेतु दिनांक नियत किया गया 17/8
पत्रावली पर आदेश दिनांक 25-8-22
आदेश उद्घोषित का दिनांक 25-8-22
पत्रावली वापस दिनांक 29 AUG 2022

Nanu Sardinda Road, Baraut

Scanned with OKEN Scanner